लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019
संख्या-11/2019/596/ तीस-4-2019-363/93टीसी

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 28 मार्च, 2019

विषयः- लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 की आवश्यकता के लिए गाड़ियों की मरम्मत के संबंध में औसत व्यय का अभिप्राय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-8/2019/505/तीस-4-2019-363/93टीसी, दिनांक 19 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में उपयोग की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की मरम्मत तथा उसमें व्यय होने वाली धनराशि के भुगतान संबंधी आदेश निर्गत किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन कार्य के समय वाहनों में तकनीकी खराबी आने पर तत्काल मरम्मत कर उन्हें संचालन में लाये जाने की व्यवस्था जिलाधिकारियों के स्तर से की जाती है। वाहन के मरम्मत के सम्बन्ध में औसत व्यय का अभिप्राय मरम्मत किए जाने वाले कुल वाहनों पर आये औसत व्यय से है यथा यदि किसी जनपद में बीस गाड़ियाँ तकनीकी रूप से खराब है और उनकी मरम्मत के लिए (Estimate) प्राप्त किये गये हैं और उन प्राप्त (Estimate) में दी गई धनराशि के कुल योग का औसत धनराशि ही औसत व्यय होगा।

भवदीय,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2019/596(1)/तीस-4-2019-363/93टीसी तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) सी0ए0ए0एस0-3-टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. समस्त विभागाध्य एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
7. समस्त उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
8. वित्त(व्यय नियत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।